न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मण्डावा

पीठासीन अधिकारी : मुनेश कुमारी (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 39/2024

धमेन्द्र वगैरह बनाम जगदीश वगैरह

उभय पक्षरान

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने पत्थरगढ़ी

निर्णय

निर्णय दिनांक 02.01.2025

संक्षेप में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम मोतीसर तहसील मण्डावा में भूमि हाल खाता संख्या 13 के वर्तमान खसरा नम्बर 72 रकबा 2.64 हैक्टर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण इस भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है।प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की धारा 1 में दर्ज भूमि की नप्ती व सीमाज्ञान हेतु एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार नहोदय गण्डावा के यहां पेश किया था जिस पर नियगानुसार तहसीलदार महोदय मण्डावा ने उक्त भूमि की नप्ती व सीमाज्ञान किये जाने हेतु पटवारी को आदेशित किया गया था जिस पर दिनांक 02/06/2023 को पटवारी मौके पर आया व उक्त भूमि की नप्ती की जाकर सीमाज्ञान कराया गया व नजरी नक्शा तैयार किया गया।उक्त भूमि की पटवारी द्वारा नप्ती की जाकर सीमाज्ञान करवाया जा चुका है तथा पटवारी ने अपनी रिर्पोट सम्बन्धित कार्यालय में जमा करा दी है उक्त भूमि के बाबत बार बार नप्ती नहीं करनी पड़े व सीगाज्ञान नहीं कराना पड़े इसलिए पटवारी द्वारा दिनांक 02/06/2023 को बताये गये सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी करवाया जाना न्यायोचित है ताकि काश्तकार सही ढंग से अपनी भूमि को काश्त कर सके व अनावश्यक झगड़ों से बच सकें व बार बार काश्तकार को नपती नहीं करवानी पड़े इसलिए उक्त भूमि की पत्थर गड्डी किया जाना न्यायोचित है।अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 उक्त भूमि के सीमावर्ती खातेदार काश्तकार है इसलिए उनको आवश्यक पक्षकार बनाया गया है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि नियमानुसार प्रार्थना पत्र की धारा 2 में दर्ज भूमि की नपती व सीमाज्ञान के आधार पर पत्थर गड्डी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्राथीगण को जरिये सम्मन तलवाना नोटिस जारी कर वादग्रस्त भूमि की पत्थरगढ़ी करवाये जाने के संबध में कोई उजर एतराज हो तो निर्धारित तिथि का न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करने हेतु पाबन्द किया गया। अनावेदकगण संख्या 01 लगायत 07, 12 लगायत 13 बाद तामील अनुपस्थित। अप्रार्थीगण की तामिल विधिवत पूर्ण होने के पश्चात सुनवाई हेतु पर्याप्त अवसर देने के उपरांत भी अपना पक्ष नहीं रखते है या उपस्थित नहीं होते है तो यह मानकर कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार सिद्धि दिये जाने में उन्हें कोई उजर एतराज नहीं है, उनके विरूद्ध आदेश 9 नियम 6 के तहत EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा सकती है। प्रकरण में विधिवत तामिल होने के पश्चात भी अप्रार्थीगण संख्या सख्या 01 लगायत 07 एवं 12 व 13 की ओर से अपना पक्ष नहीं रखने पर उन्हें EXPARTY मानकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 08 लगायत 11 ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थनापत्र की मद में खन्न 72 रक्या 2.64 हेक्टर के प्रार्थीगण खातेदार है।प्रार्थना पत्र की मद न 2 अस्वीकार है। दिनाक 2–6–23 की नपती बाबत उप्रार्थी को कोई जानकारी नहीं है। प्रार्थीगण ने एक पक्षीय नपती करायी है जो गलत है। प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा

नपती की आड़ में अप्रार्थीगण न लगायत ।। की भूमि दवाना चाहते है जिसका उनको कोई अधिकार नही है भूमियों की सीमा पूर्व से निर्धारित है। प्रार्थना पत्र की मद न०8 जिस प्रकार लिखी है सही नहीं है। जिस सीमाज्ञान की बात प्रार्थीगण कर रहे है भूमि उसमे अप्रार्थीगण पावन्द नही है। उक्त गलत सीमाज्ञान के माध्यम से प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण 8 लगायत ।। की भूमि दवाना चाहते है जिसका प्रार्थीगण को कोई अधिकार नही है। प्रार्थना पत्र की मद न.4 के जवाब की आवश्यकता नही है।प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि खन्न. 72 रकबा 2.54 हैक्टर है तथा अप्रार्थीगण न.8 लगायत ।। की तह खातेदारी की भूमि खन्न–235/72 रकबा 2–64 हेक्टर है जिसकी सीमा विभाजन के समय से नियत है। उक्त सीमा में पत्थर गढ़ी करते है तो कोई आपति नही है। प्रार्थीगण सीमा से हटकर अप्रार्थीगण 8 लगायत ।। की भूमि दवाकर पत्थर गढी करवाना चाहता है जो कि गलत है। यदि दोनों खसरो की एक साधनपती कर तथा सड़क बराबर छोड़कर पत्थर गढ़ी की जाती है तो न्याय संगत है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल में शामिल पूर्व सीमाज्ञान फर्द मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया । उक्त फर्द मौका रिपोर्ट में विपरित कब्जे बाबत कोई उल्लेख नही है।अतः प्रार्थी के प्राथर्ना पत्र दौराने बहस पत्थरगढ़ी करवाये जाने के अनुरोध पर ग्राम मोतीसर पटवार हल्का शेखसर में ख.न. 72 मुताबिक सीमाज्ञान दिनाक 06.02.2023 के अनुसार पत्थरगढ़ी फसलकाश्त होने के पश्चात के आदेश दिये जाते है। विपरित कब्जे काश्त होने की स्थिती में यह आदेश स्वतः शुन्य होगा। तदनुसार आदेश की पालना हेतु तहसीलदार मण्डावा को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 02.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुनेश कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावा